क्रम-संख्या—205

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 सितम्बर, 2014

भाद्रपद 31, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ) 189 / दस—2014—11-2013

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—65

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014

भाग—एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग सेवा में समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

नियमावली का लागू होना

3—यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4—यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

5—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में, यथा स्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन लिपिकीय संवर्ग सेवा के किसी पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा से है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—2053 / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010, संख्या—वे0आ0—2—401 / दस—54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011, संख्या—वे0आ0—2—2105 / दस—54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, संख्या—वे0आ0—2—44 / दस—54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 17 जनवरी, 2014 और संख्या—वे0आ0—2—47 / दस—54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 20 जनवरी, 2014 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में दी गयी है :—

परन्तु यह कि –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग-तीन–भर्ती

7–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– भर्ती का स्रोत

(1) कनिष्ठ सहायक

(एक) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" के कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

(2) वरिष्ठ सहायक

मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) प्रधान सहायक

मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रशासनिक अधिकारी

मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी, के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

(6) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम अठारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हों, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

आरक्षण

8—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

9—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता

10—सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है :—

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।

(दो) हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।